

प्रेस नोट दिनांक- 04.05.2025, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत मोहद्वीनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां के उ०नि० विवेक पाण्डेय मय हमराह का० संदीप कुमार द्वारा दिनांक 04.05.2025 को रोकथाम जुर्म जरायम में देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137 (2)/87 बी. एन. एस. 2023 से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र राम छबीले निवासी ग्राम कन्धई का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत मोहद्वीनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अमित कुमार पुत्र राम छबीले निवासी ग्राम कन्धई का पुरवा थाना हथिगवां प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विवेक पाण्डेय मय हमराह का० संदीप कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कंधई पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के मजिस्ता मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाबचन्द्र सोनकर मय हमराह का० विकेश मिश्रा, का० रामदेव गौतम, चालक का० जगजीत सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 69/352/351 (2) व (3) भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त अंशुमन चौबे पुत्र उमाकान्त चौबे नि० मजिस्ता उर्फ भवानीगढ़ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कंधई के मजिस्ता मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अंशुमन चौबे पुत्र उमाकान्त चौबे नि० मजिस्ता उर्फ भवानीगढ़ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाबचन्द्र सोनकर मय हमराह का० विकेश मिश्रा, का० रामदेव गौतम, चालक का० जगजीत सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत रंगदारी, मारपीट व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत आवास विकास कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी से आरोपीगण रंगदारी मांगते थे। वादी के साथ दि० 27.07.2023 को मार-पीट की गई एवं धमकी देकर रंगदारी मांगी गई । आरोपीगण द्वारा वादी को गाली- गलौज एवं धमकी दी गई । जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं० 549/23 धारा 386/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में उ०नि० अनुपम त्रिपाठी हे०का० अजय कुमार का० रंजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली नगर के मु०अ०सं० 549/23 धारा 386/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सलमान उर्फ इमरान पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी मीराभवन आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत आवास विकास कालोनी पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सलमान उर्फ इमरान पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी मीराभवन आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० अनुपम त्रिपाठी हे०का० अजय कुमार का० रंजीत कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हूपुर-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 09 अदद देशी नाजायज बम के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहन का पुल नहर पुलिया, कैलीडीह के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०नि० शैलेश यादव मय हमराह का० दशरथ पटेल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 03.05.2025 को 09 अदद देशी नाजायज बम के साथ 02 अभियुक्तों, 1. आदिल पुत्र फिरोज अहमद निवासी लेदराही थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष वर्तमान पता रेलवे स्टेशन के पास सिंगरामऊ थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर 2. संतोष उर्फ प्रतीक उपाध्याय पुत्र देवमणि उपाध्याय निवासी अलैया थाना सुजानगंज जिला जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहन का पुल नहर पुलिया, कैलीडीह के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों के पास से 09 अदद देशी नाजायज बम बरामद किये गये हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आदिल पुत्र फिरोज अहमद निवासी लेदराही थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष वर्तमान पता रेलवे स्टेशन के पास सिंगरामऊ थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।
2. संतोष उर्फ प्रतीक उपाध्याय पुत्र देवमणि उपाध्याय निवासी अलैया थाना सुजानगंज जिला जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-

01- 09 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह का० दशरथ पटेल थाना फतनपुर, प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को महुन नाला के आगे रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी ने दिनांक 19.04.2025 को आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। उसी बात को लेकर दिनांक 19.04.2025 को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किये एवं गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 191 (2) 191 (3) /190/115(2)/352/351 (3)/109 बीएनएस बनाम 08 नामजद अभियुक्त व 4-5 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह हे०का० राममिलन यादव, का० जुगेन्द्र प्रताप सिंह व का० राहुल प्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 57/25 धारा 191 (2) 191 (3) /190/115(2)/352/351 (3)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त दिवाकर मिश्रा पुत्र स्व० वंशीधर मिश्रा नि०ग्रा० उदयपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को थानाक्षेत्र उदयपुर के महुन नाला के आगे रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- दिवाकर मिश्रा पुत्र स्व० वंशीधर मिश्रा नि०ग्रा० उदयपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह हे0का0 राममिलन यादव, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह व का0 राहुल प्रताप सिंह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सों एक्ट, आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत नूर मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2025 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा थाना कुण्डा पर तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री कुण्डा कस्बा की एक स्कूल की छात्रा है। जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष 6 माह है। वादी की पुत्री के साथ मैजिक वैन ड्राइवर आरोपी शिवकरन साहू द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। उक्त घटना का तत्काल थाना कुण्डा पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर परिजनों की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अन्तर्गत धारा 74, 65 (2), 60, 238, 72, बीएनएस एवं धारा 5 (M)/ 6, 21 व 23 पाक्सो एक्ट व धारा 67 ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाम शिवकरन साहू आदि पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा व का0 अभिषेक त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा के मु0अ0सं0 112/25 धारा 74, 65 (2), 60, 238, 72, बीएनएस एवं धारा 5 (M)/ 6, 21 व 23 पाक्सो एक्ट व धारा 67 ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों, 01. मो0 अशद पुत्र मो0 हारून निवासी ग्राम सरयूनगर, नूर मस्जिद गली कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष 2. मो0 जाफर सिद्धिकी पुत्र खुर्शीद अहमद निद्धिकी निवासी ग्राम करेटी रोड कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नूर मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया है।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा घटना की गहनता से जाँच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण महिला गायनेकोलॉजिस्ट से कराया गया। मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आये। पीड़िता ने अपने माता पिता के सामने आरोपी की पहचान की पुष्टि की गई थी। जिसके आधार पर दिनांक- 03.05.2025 को आरोपी मैजिक वैन ड्राइवर आरोपी शिवकरन साहू पुत्र राम लखन साहू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी हनुमत नगर वार्ड नंबर 12 थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूरे प्रकरण में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आयेगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में आगे भी तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो० अशद पुत्र मो० हारून निवासी ग्राम सरयूनगर, नूर मस्जिद गली कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष ।

02. मो० जाफर सिद्धिकी पुत्र खुर्शीद अहमद निद्धिकी निवासी ग्राम करेटी रोड कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार वर्मा व का० अभिषेक त्रिपाठी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा कुल 07 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कोहंडौर के उ०नि० प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह हे०का० लालबाबू शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान थाना कोहंडौर के मु०नं० 2032/2020 मु०अ०सं० 20/2018 धारा 352, 427, 504, 506 भादवि से संबंधित 01 वारंटी राजबहादुर यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम परशुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना कोहंडौर के उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह का० संदीप कुशवाहा, हो०गां० एनुल हसन पीआरडी संतराम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान थाना कोहंडौर के मु०नं० 1569/2021 मु०अ०सं० 202/07 धारा 323,504,506 भादवि से संबंधित 01 वारंटी उदयभान सिंह उर्फ बोटल सिंह पुत्र समर बहादुर निवासी विजरा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना कोहंडौर के उ०नि० प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह हे०का० लालबाबू शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान थाना कोहंडौर के मु०नं० 1569/2021 मु०अ०सं० 202/07 धारा 323,504,506 भादवि से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्त/ अभियुक्ता 01. बबलू उर्फ जयप्रकाश यादव पुत्र छोटेलाल निवासी हरहोई थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ 02. अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है ।

थाना कोहंडौर के उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान थाना कोहंडौर के मु०नं० 2032/ 20 सम्बन्धित अ०सं० / एन०सी०आर० नं० 20/18 धारा 427/352/504/506 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 01 वारंटी 1. अविनाश यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 45 वर्ष, 2. राकेश यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र क 30 वर्ष, 2. राकेश यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र क 30 वर्ष निवासीगण परसुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ एवं मु०नं० 14898 / 21, मु०अ०सं० 92/04 धारा 323/324/504 भादवि को से संबंधित 01 अभियुक्त को सूर्यभान यादव पुत्र विजय बहादुर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी लहुरी बजेठी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उनके गांव के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 01- राजबहादुर यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम परशुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 02- उदयभान सिंह उर्फ बोटल सिंह पुत्र समर बहादुर निवासी विजरा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 03- बबलू उर्फ जयप्रकाश यादव पुत्र छोटेलाल निवासी हरहोई थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 04- 01 अभियुक्ता ।
- 05- अविनाश यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी परसुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 06- राकेश यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र क 30 वर्ष निवासी परसुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 07- सूर्यभान यादव पुत्र विजय बहादुर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी लहुरी बजेठी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे, उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 लालबाबू शुक्ला, का0 संदीप कुशवाहा, हो0गां0 एनुल हसन पीआरडी संतराम थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू-

थाना अंतू पुलिस द्वारा कुल 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना अंतू के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह कां0 बौद्ध प्रकाश पीआरडी रंजीत वर्मा पीआरडी रामकुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 23/1999 अ0सं0 174/1998 धारा 2/3 यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना कन्धई से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त 1. संन्त लाल सोनी पुत्र रामप्यारे सोनी निवासी सडवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसकी दुकान श्याम विहारी गली के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना अंतू के उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 493/2018 अ0सं0 287/18 धारा 323/504/506/427/352 भादवि व 3(1) ध एससी/एसटी एक्ट थाना अन्तू से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 1. सोनू उर्फ अखिलेश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी ग्राम सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 2. लल्ला यादव पुत्र कमलेश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी ग्राम सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संन्त लाल सोनी पुत्र रामप्यारे सोनी निवासी सडवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
2. सोनू उर्फ अखिलेश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी ग्राम सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
3. लल्ला यादव पुत्र कमलेश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी ग्राम सेतापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनुपम पटेल, उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय मय हमराह कां0 बौद्ध प्रकाश पीआरडी रंजीत वर्मा पीआरडी रामकुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर के उ०नि० दिलीप कुमार वर्मा, का० आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी नं० 350/2018 अ०सं० 58/2018 धारा 323, 504, 506, IPC व 3 (1) X एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वारंटी मोहित सिंह पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गोपुर रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहित सिंह पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गोपुर रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० दिलीप कुमार वर्मा, का० आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ०नि० योगेन्द्र सिंह मय हमराह म०उ०नि० दीपिका सिंह, हे०का० जितेन्द्र कुशवाहा, का० कैलाश यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु०नं० 8501/21 मु०अ०सं० 74/94 धारा 323/325/504 भादवि से संबंधित 01 वारंटी रमेशचन्द्र तिवारी पुत्र देवी प्रसाद निवासी मझिगवां थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रमेशचन्द्र तिवारी पुत्र देवी प्रसाद निवासी मझिगवां थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० योगेन्द्र सिंह मय हमराह म०उ०नि० दीपिका सिंह, हे०का० जितेन्द्र कुशवाहा, का० कैलाश यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ०नि० विजय कुमार मय हमराह का० नरेन्द्र राम, का० मोनू कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु०नं० 8499/21 अ०सं०

145/11 धारा 2/3 लो0 स0 अधि0 सम्बन्धित मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी सुरेश शुक्ला पुत्र हृदय नारायण शुक्ला उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुरेश शुक्ला पुत्र हृदय नारायण शुक्ला उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय कुमार मय हमराह का नरेन्द्र राम, का0 मोनू कुमार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ ।

थाना कंधई-

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ0नि0 राजेश यादव मय हमराह का0 साजन पटेल व का0 अनूप मिश्रा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 2551/92, अ0स0 270/90 धारा 323/324 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी सोहराब अली पुत्र सुल्तान अली नि0 ग्राम जैतीपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सोहराब अली पुत्र सुल्तान अली नि0 ग्राम जैतीपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश यादव मय हमराह का0 साजन पटेल व का0 अनूप मिश्रा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ ।

थाना मान्धाता-

थाना मांधाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांधाता के उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह का0 अनी कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी न0 175/13 अ0सं0 18/13 धारा 138बी भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी ओम प्रकाश पटेल पुत्र अलगुराम नि0 बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ओम प्रकाश पटेल पुत्र अलगुराम नि0 बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह का0 अनी कुमार थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ ।